अध्याय - V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

अध्याय-V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

5.1 परिचय

लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण जगह लेने के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (रा.सा.क्षे.उ.) की स्थापना वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए की जाती है। रा.सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की कंपनियां, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और सांविधिक निगम शामिल हैं। यह अध्याय रा.सा.क्षे.उ. में निवेश, रा.सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता, रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किए गए लाभांश, रा.सा.क्षे.उ. के निवल मूल्य का क्षरण और रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण को पेश करता है।

5.1.1 सरकारी कंपनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और सांविधिक निगमों की परिभाषा

एक सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें कम से कम 51 *प्रतिशत* प्रदत्त शेयर पूंजी, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास होता है तथा इसमें एक ऐसी कंपनी शामिल होती है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी होती है।

इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वामित्व वाली या नियंत्रिक किसी भी अन्य कंपनी[1] को इस अध्याय में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत स्थापित किए गए थे।

5.1.2 लेखापरीक्षा का अधिदेश

सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) द्वारा नि.म.ले.प. के

[1] कंपनी (कठिनाइयों को दूर करना) के सातवां आदेश 2014, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2014 की राजपत्र अधिसूचना के तहत जारी किया गया।

(कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए विनियमों के अंतर्गत की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत नि.म.ले.प. कंपनियों के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट को बतौर सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करता है तथा उन्हें निर्देश देता है कि किस प्रकार लेखाओं को लेखापरीक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त, नि.म.ले.प. को पूरक लेखापरीक्षा के संचालन का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाले विधानों के अनुसार उनके लेखे केवल नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षित कराया जाना आवश्यक है।

5.1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रकृति और अध्याय में उनके कवरेज

31 मार्च 2022 तक, दिल्ली में 18 रा.सा.क्षे.उ. थे, जिनमें दो[2] सांविधिक निगमों, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और 15 सरकारी कंपनियां नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत थे जैसा कि **तालिका 5.1** में वर्णित है। 15 सरकारी कंपनियों में डीएसआईआईडीसी की चार निष्क्रिय सहायक कंपनियां शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं कर रही हैं। राज्य का कोई भी सा.क्षे.उ. स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं था।

तालिका 5.1: रा.सा.क्षे.उ. की सूची

सरकारी कंपनियां	
वित्त	
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी)
अवसंरचना	
2.	शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम (एसआरडीसी)
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी)
पावर	
4.	इन्द्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल)
5.	प्रगति पावर निगम लिमिटेड (पीपीसीएल)
6.	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल)
7.	दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (डीपीसीएल)
सेवाएं	
8.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी)
9.	दिल्ली राज्य जन आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी)
10.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल)
परिवहन	
11.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी)

[2] दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

सांविधिक निगम	
वित्त	
12.	दिल्ली वित्तीय निगम (डीएफसी)
परिवहन	
13.	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी	
सेवाएं	
14.	इंटेलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड (आईसीएसआईएल-डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
निष्क्रिय सरकारी कंपनियां	
15.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेन्ट लिमिटेड (डीसीएडीएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
16.	डीएसआईआईडीसी लीकर लिमिटेड (डीएलएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
17.	डीएसआईआईडीसी मेनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)
18.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड (डीइएल - डीएसआईआईडीसी की सहायक कंपनी)

5.2 रा.सा.क्षे.उ. में निवेश तथा बजटीय सहायता

5.2.1 रा.सा.क्षे.उ. में इक्विटी होल्डिंग तथा दीर्घकालिक ऋण

31 मार्च 2022 तक सभी 18 रा.सा.क्षे.उ. में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा क्षेत्र-वार कुल इक्विटी, इक्विटी अंशदान और कुल दीर्घकालिक ऋण और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण **तालिका 5.2** में दिए गए हैं:

तालिका 5.2: 31 मार्च 2022 को रा.सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	कंपनियां/ सांविधिक निगम		कुल निवेश				
			इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		
		रा.सा. क्षे.उ. की सं.	कुल	राज्य सरकार	कुल	राज्य सरकार	कुल इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण
(क) पावर	कंपनियां	**5**	**7,506.79**	**7,106.78**	**4,345.26**	**3,815.64**	**11,852.05**
(ख) पावर के अलावा							
i. वित्त	कंपनी	1	50.00	38.12	68.24	68.24	118.24
	सांविधिक निगम	1	26.54	18.05	33.00	33.00	59.54
ii. सेवा	कंपनियां	7	25.07	24.04	2.25	2.14	27.32
iii. अवसंरचना	कंपनियां	2	21.00	21.00	0.00	0.00	21.00
iv. परिवहन	कंपनी	1	10.65	10.65	0.00	0.00	10.65
	सांविधिक निगम	1	1,983.85	1,983.85	11,676.14	11,676.14	13,659.99
कुल ख (i+ii+iii+iv)		**13**	**2,117.11**	**2,095.71**	**11,779.63**	**11,779.52**	**13,896.74**
कुल (क) + (ख)		**18**	**9,623.90**	**9,202.49**	**16,124.89**	**15,595.16**	**25,748.79**

स्रोतः नवीनतम वित्तीय विवरणी तथा रा.सा.क्षे.उ. द्वारा प्रस्तुत जानकारी (दीर्घकालिक ऋणों में रा.रा.क्षे.दि.स. के ऋण की वर्तमान मेच्युरिटी शामिल है।)

पॉवर क्षेत्र एसपीएसयू की वित्तीय स्थिति इस प्रकार विस्तृत है:

डीपीसीएल, आईपीजीसीएल, पीपीसीएल तथा डीटीएल नाम की कुल चार सक्रिय पॉवर क्षेत्र कंपनियां हैं। इसके अतिरिक्त तीन पॉवर वितरण कंपनियां (निजी क्षेत्र में) हैं जिनमें डीपीसीएल की केवल 49 प्रतिशत भागीदारी है। 31 मार्च 2022 को पांच पॉवर क्षेत्र एसपीएसयूए में ₹ 11,852.05 करोड़ के कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) में इक्विटी के लिए 63.34 प्रतिशत तथा दीर्घावधि ऋणों में 36.66 प्रतिशत शामिल था। राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई इक्विटी (₹ 7,106.78 करोड़) कुल इक्विटी का 94.67 *प्रतिशत* था। राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण (₹ 3,815.64 करोड़) कुल दीर्घकालिक ऋणों का 87.81 *प्रतिशत* था, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों के 12.19 *प्रतिशत* (₹ 529.62 करोड़) दूसरों से लिया गया, जैसा कि **परिशिष्ट-5.1** में वर्णित है।

पिछले तीन वर्षों में उनके नवीनतम अंतिम खातों के अनुसार चार रा.सा.क्षे.उ. में से किसी ने भी लाभांश का भुगतान नहीं किया।

31 मार्च 2022 तक, रा.रा.क्षे.दि.स. को देय चार पॉवर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. का कुल ऋण तथा ब्याज क्रमशः ₹ 3,815.64 करोड़ तथा ₹ 3,349.23 करोड़ बकाया था। इसमें से ₹ 3,326.39 करोड़ (87.17 प्रतिशत) तथा ₹ 2,587.80 करोड़ (77.26 प्रतिशत) की मुख्य राशि डीपीसीएल से संबंधित थी। कथित ऋण भा.स. द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. को संवितरित किया गया जिसने आगे सीपीएसयू और रेल मंत्रालय को देय पॉवर खरीद लागत की देयता को पूरा करने के लिए डीपीसीएल को संवितरित किया डीपीसीएल ने रा.रा.क्षे.दि.स. से ऋण की बकाया राशि को 'गैर-वापसी योग्य वित्तीय सहायता' के रूप में मानने के लिए मामले को रा.रा.क्षे.दि.स. को संदर्भित किया है क्योंकि दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम अवधि के सीपीएसयू देय राशि दिल्ली विद्युत बोर्ड का विघटन पर स्थानांतरण योजना नियम 2001 के अनुसार, डीपीसीएल की देयताओं का हिस्सा नहीं थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उक्त ऋण को एकमुश्त अनुदान में परिवर्तित करने के मामले को भारत सरकार के साथ उठाया था। मामले पर निर्णय अभी भी लंबित है (दिसंबर 2022)।

पीपीसीएल पर ₹ 489.25 करोड़ का ऋण बकाया है जिसके लिए देय मूल राशि के भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है। रा.रा.क्षे.दि.स. ऋण के ₹ 870.55 करोड़ में बकाया ब्याज के प्रति आईपीजीसीएल ने ₹ 276.79 करोड़ (2021-22) का भुगतान किया था जबकि पीपीसीएल ने ₹ 983.30 करोड़ के बकाया ब्याज के प्रति ₹ 859.87 करोड़ (2019-22) का भुगतान किया था।

31 मार्च 2022 तक, 13 रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 13,896.74 करोड़ था। निवेश में 15.23 *प्रतिशत* इक्विटी और 84.77 *प्रतिशत* दीर्घकालिक ऋण शामिल था। राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई इक्विटी (₹ 2,095.71 करोड़) कुल इक्विटी का 98.99 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋणों का 99.99 *प्रतिशत* (₹ 11,779.52 करोड़) है जैसा कि **परिशिष्ट-5.1** में वर्णित है।

5.2.2 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को बजटीय सहायता

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) वार्षिक बजट के माध्यम से रा.सा.क्षे.उ. को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए रा.सा.क्षे.उ. के संबंध में बजटीय व्यय (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 5.3** में दिया गया है:

तालिका 5.3: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता[3] का विवरण

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)	रा.सा.क्षे.उ. की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
(क) पावर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ.						
इक्विटी कैपिटल आउटगो (i)	-	-	-	-	-	-
दिया गया ऋण (ii)	1	50.00	-	-	-	-
दिया गया अनुदान/सब्सिडी (iii)	-	-	-	-	1	1.28
कुल आउटगो (क)	1	**50.00**	-	-	**1**	**1.28**
(ख) पावर क्षेत्र के रा.सा.क्षे.उ. के अलावा						
इक्विटी कैपिटल आउटगो (i)	1	4.80	-	-	-	-
दिया गया ऋण (ii)	-	-	-	-	-	-
दिया गया अनुदान/सब्सिडी (iii)	4	2,177.17	4	2,821.51	4	2,558.24
कुल आउटगो (ख)	**4**	**2,181.97**	**4**	**2,821.51**	**4**	**2,558.24**
व्यय का कुल आउटगो (क + ख)	**5**	**2,231.97**	**4**	**2,821.51**	**5**	**2,559.52**

स्रोत: वार्षिक लेखे और सा.क्षे.उ. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित आंकड़े

मार्च 2022 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय व्यय के विवरण **चार्ट 5.1** में दिए गए हैं:

[3] राशि केवल राज्य के बजट से व्यय का प्रतिनिधित्व करती है।

चार्ट 5.1: इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय सहायता

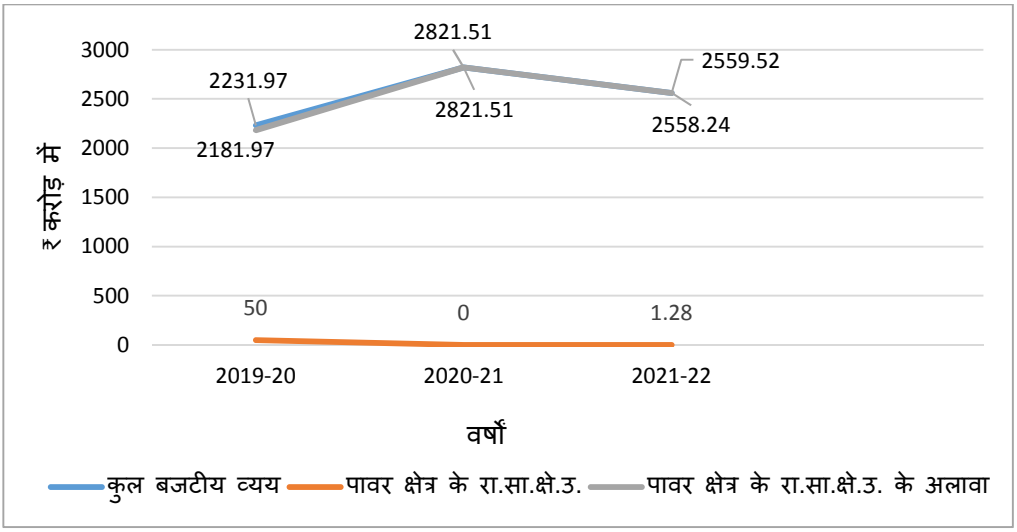

रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र) द्वारा प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः 2019-20 और 2021-22 के दौरान ₹ 50 करोड़ का ऋण और ₹ 1.28 करोड़ की अनुदान/सब्सिडी थी।

वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को वार्षिक बजटीय सहायता क्रमशः ₹ 2,181.97 करोड़, ₹ 2,821.51 करोड़ और ₹ 2,558.24 करोड़ थी। 2021-22 के दौरान रा.सा.क्षे.उ. (पावर क्षेत्र के अलावा) को ₹ 2,558.24 करोड़ की बजटीय सहायता में मुख्य रूप से 2021-22 के दौरान अपना संचालन करने के लिए डीटीसी को ₹ 2501.91 करोड़ की अनुदान और सब्सिडी शामिल थी।

5.2.3 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की वित्त लेखे के साथ मिलान

राज्य सा.क्षे.उ. की दस्तावेजों के अनुसार इक्विटी, ऋण और बकाया गारंटियों के आंकड़े रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों के अनुरूप होने चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित रा.सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग को मतभेदों का समाधान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 31 मार्च 2022 तक चार रा.सा.क्षे.उ. के ऋणों के संबंध में इस तरह के अंतर मौजूद थे जैसा कि **परिशिष्ट-5.2** में वर्णित है और **तालिका 5.4** में सारांशित है:

तालिका 5.4: राज्य सा.क्षे.उ. के दस्तावेजों की तुलना में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखे के अनुसार बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	क्षेत्र	राज्य सा.क्षे.उ. के दस्तावेजों के अनुसार राशि	वित्त लेखे के अनुसार राशि	अन्तर
ऋण	पावर क्षेत्र	489.25	485.70	3.55
	पावर क्षेत्र के अलावा	70.38	77.33	-6.95
	कुल	**559.63**	**563.03**	**-3.40**

स्रोत: सा.क्षे.उ. और वित्त लेखे से प्राप्त सूचना

5.3 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

रा.रा.क्षे.दि.स. ने लाभांश नीति तैयार की थी (17 अगस्त 2021) जिसके तहत रा.सा.क्षे.उ. को कर के बाद लाभ का 30 *प्रतिशत* या नेट वर्थ का पाँच *प्रतिशत*, जो भी अधिक हो, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना आवश्यक होगा। अगस्त 2021 से पहले कोई लाभांश नीति नहीं थी और किसी भी रा.सा.क्षे.उ. ने 2019-20 और 2020-21 के दौरान लाभांश का भुगतान/घोषणा नहीं की थी।

2021-22 के दौरान, दो रा.सा.क्षे.उ. (डीएसआईआईडीसी और जीडीएल) ने क्रमशः कर के बाद लाभांश का 30 *प्रतिशत* की दर से ₹ 66.37 करोड़ के लाभांश का भुगतान/घोषित किया और एक रा.सा.क्षे.उ. (डीटीटीडीसी) ने नेट वर्थ के पाँच *प्रतिशत* की दर से ₹ 11.06 करोड़ का लाभांश दिया। लाभ कमाने वाले अन्य चार[4] रा.सा.क्षे.उ. में से किसी ने भी, जिसने 2021-22 और 2022-23 के दौरान प्राप्त अपने नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार लाभ अर्जित किया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं किया था।

5.4 रा.सा.क्षे.उ. के नेट वर्थ का क्षरण

31 मार्च 2022 तक 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल एक रा.सा.क्षे.उ. (दिल्ली परिवहन विभाग) है जिसके नेट वर्थ का ₹ 52,242.68 करोड़ की संचित हानियों से पूरी तरह से समाप्त हो गया था। डीटीसी का नेट वर्थ वर्ष 2020-21 के इसके नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार ₹ 1,983.85 करोड़ के

[4] डीपीसीएल, डीटीएल, डीएससीएससी और डीटीआईडीसी।

इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था। डीटीसी की पूंजी कम हो गई है, जबकि इसके रा.रा.क्षे.दि.स. के बकाया ऋण और उस पर ब्याज क्रमशः ₹ 11,676.14 करोड़ और ₹ 39,424.50 करोड़ थे। डीटीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. को 2007-08 से बकाया ऋण और 2011-12 से उस पर ब्याज का पुनर्भुगतान नहीं किया था। डीटीसी द्वारा किए गए नुकसान मुख्य रूप से गैर-आर्थिक किराया संरचना, विभिन्न रियायती पास जारी करने, पुरुष/वैवाहिक इनपुट कॉस्ट की कीमत में वृद्धि और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जारी योजना एवं गैर-योजना ऋणों की ब्याज की भार के कारण थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने ब्याज लागत को छोड़कर घाटे को पूरा करने के लिए 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 2,030 करोड़, ₹ 2,475 करोड़ तथा ₹ 2,320 करोड़ का वेज एंड मिन्स अनुदान जारी किया था। इस प्रकार डीटीसी अपने संचालन के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की वित्तीय सहायता पर निर्भर है।

डीटीसी ने रा.रा.क्षे.दि.स. से (दिसंबर 2016, जून 2017, अक्टूबर 2021 और अक्टूबर 2022) अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए योजना ऋणों को इक्विटी और गैर-योजना ऋणों और उपार्जित ब्याज को अनुदान/सब्सिडी में परिवर्तित करने का अनुरोध किया जो अभी भी निर्णय हेतु लंबित है (दिसंबर 2022)।

5.5 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति

5.5.1 वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखाओं की समयबद्ध प्रस्तुति की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की एजीएम[5] आयोजित करने की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि एक एजीएम और अगली एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक व्यतित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणियों को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

[5] पहली एजीएम के मामले में, यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख अर्थात् 30 सितंबर से छह महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम की धारा 129 के प्रावधानों को गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दंड लगाने का भी प्रावधान है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामले पर एक वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जानी है। इस तरह की तैयारी के बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति के साथ वार्षिक रिपोर्ट और उस पर नि.म.ले.प. की टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पूरक के रूप में विधायिका के समक्ष अवश्य रखी जानी चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में समान प्रावधान मौजूद हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कंपनियों/निगमों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

31 मार्च 2022 तक, दिल्ली में 18 रा.सा.क्षे.उ. हैं, जिनमें दो[6] सांविधिक निगम, एक सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी और 15 सरकारी कंपनियां नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार में हैं। 15 सरकारी कंपनियां जिसमें डीएसआईआईडीसी की चार अकार्यशील सहायक कंपनियां शामिल हैं जो पिछले कई वर्षों से कोई गतिविधि नहीं कर रही है।

5.5.2 सरकारी कंपनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

- सभी 16 रा.सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2021-22 के लेखे 30 सितंबर 2022 तक प्रस्तुत किए जाने थे। 16 सरकारी कंपनियों में से छह[7] सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2022 तक नि.म.ले.प. द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। दस सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।
- दो सांविधिक निगमों (डीएफसी और डीटीसी) की लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। दोनों सांविधिक निगमों के वर्ष 2021-22 के लेखे दिनांक 30 नवम्बर 2022 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

[6] दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली वित्तीय निगम

[7] डीटीएल, आईसीएसआईएल, डीसीएडीएल, डीएलएल, डीएमएसएल और डीइएल

रा.सा.क्षे.उ. द्वारा लेखा प्रस्तुत किए जाने में बकाया का विवरण **तालिका 5.5** में दिया गया है:

तालिका 5.5: रा.सा.क्षे.उ. के लेखे प्रस्तुतीकरण में बकायों का विवरण

विवरण		सरकारी कंपनियां	सांविधिक निगमों
रा.सा.क्षे.उ. की कुल संख्या जिसमें से 2021-22 के लिए लेखे देय थे		16	2
रा.सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2022/30 नवम्बर 2022 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		6	0
बकाया लेखे की संख्या (दस सरकारी कंपनियों और 2 निगमों)		17	2
बकायों का ब्रेक-अप	एक वर्ष का बकाया (2021-22)	07[8]	2
	दो साल (2020-21 और 2021-22)	2[9]	-
	तीन वर्षों से अधिक बकाया	1[10]	-

रा.रा.क्षे.दि.स. ने उक्त अवधि के दौरान 12 सा.क्षे.उ. में से छह रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: शून्य, अनुदान: ₹ 2,567.73 करोड़) का निवेश किया, जिनके लेखे बकाया थे। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का रा.सा.क्षे.उ.-वार विवरण, जिनके लेखे बकाया थे, **परिशिष्ट-5.3** में दर्शाए गए हैं।

प्रशासनिक विभागों की जिम्मेदारी है कि वे इन सार्वजनिक उपक्रमों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि के भीतर इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे को अंतिम रूप दिया गया और अपनाया गया। बकाया लेखे के संबंध में संबंधित विभागों को नियमित रूप से अवगत कराया गया।

5.5.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखे को गैर-अंतिम रूप देने का प्रभाव

लेखे को अंतिम रूप देने में देरी से कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की बरबादी का जोखिम हो सकता है। इन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखे को अंतिम रूप देने और उनकी बाद की लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा

[8] डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीटीआईडीसी, डीएससीएससी, डीपीसीएल, एसआरडीसी और जीडीएल। डीएसआईआईडीसी और डीटीटीडीसी के लेखे अक्टूबर 2022 में तथा डीटीआईडीसी का नवम्बर 2022 में प्राप्त हुए।

[9] पीपीसीएल, आईपीजीसीएल

[10] 2016-17 से 2021-22 तक के डीएससीएफडीसी के छह लेखे बकाया थे।

सका कि क्या किए गए निवेश और व्यय का सही हिसाब लगाया गया था और धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए ये राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए थे।

5.6 निष्क्रिय कंपनियां

डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां अर्थात् डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड, डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को 2011 में डीएसआईआईडीसी द्वारा ₹ एक लाख के निवेश के साथ लाभप्रदता और संपत्ति बढ़ाने के लिए बनाया गया था। एक[11] को छोड़कर (2012-13 से 2014-15 के दौरान) इन कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू नहीं किया और अब तक (दिसंबर 2022) निष्क्रिय बनी हुई हैं। सितंबर 2014 में, इन सहायक कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों को डीएसआईआईडीसी ने अधिग्रहण कर लिया था। 2012-13 से 2021-22 के दौरान, इन कंपनियों ने नगण्य आय अर्जित की परन्तु, लेखापरीक्षा शुल्क और कंपनी रजिस्ट्रार फाइलिंग शुल्क पर वार्षिक खर्च किया। डीएसआईआईडीसी ने अपने 293वें निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक (मार्च 2022) के दौरान, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया और डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड और डीएसआईआईडीसी मेंटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिए प्रबंधन के प्रस्ताव को टाल दिया। हालांकि, आबकारी विभाग के आदेश (अगस्त 2022) के कारण शराब की बिक्री को फिर से शुरू करने वाली सरकारी कंपनियों की पुरानी नीति व्यवस्था को उलटने की घोषणा के कारण, डीएसआईआईडीसी से शराब के पुनरुद्धार के लिए एक कार्य योजना मांगी गई और सितंबर 2022 में आयोजित 295वीं बीओडी की बैठक में डीएसआईआईडीसी शराब को बंद करने के निर्णय को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

[11] डीईएल

5.7 निष्कर्ष

- 31 मार्च 2022 तक, 18 रा.सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 25,748.79 करोड़ था। निवेश में 37.38 प्रतिशत इक्विटी और 62.62 प्रतिशत लंबी अवधि का ऋण शामिल था। इसमें से, रा.रा.क्षे.दि.स. के पास इन रा.सा.क्षे.उ. में ₹ 24,797.65 करोड़ का निवेश है, जिसमें ₹ 9,202.49 करोड़ की इक्विटी और ₹ 15,595.16 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल है।

- 31 मार्च 2022 तक, रा.सा.क्षे.उ. और वित्त लेखे के रिकॉर्ड के बीच चार रा.सा.क्षे.उ. के संबंध में ऋण में अंतर मौजूद था, जिसे रा.सा.क्षे.उ. और वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा मिलान करने की आवश्यकता थी।

- छह रा.सा.क्षे.उ. में से दो रा.सा.क्षे.उ., जिन्होंने लाभ अर्जित किया और जिसमें रा.रा.क्षे.दि.स. ने निवेश किया था, ने वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया था। एक रा.सा.क्षे.उ. ने यद्यपि लाभ अर्जित नहीं किया, लेकिन अपने नेट वर्थ के आधार पर लाभांश का भुगतान किया।

- दिल्ली परिवहन निगम का नेट वर्थ उसके संचित घाटे से पूरी तरह से समाप्त हो गया है और 31 मार्च 2022 तक, नेट वर्थ ₹ 1,983.85 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 50,258.83 करोड़ था।

- 18 रा.सा.क्षे.उ. में से केवल छह रा.सा.क्षे.उ. ने वर्ष 2021-22 के अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किए थे और शेष 12 रा.सा.क्षे.उ. के 19 लेखे बकाया थे। रा.रा.क्षे.दि.स. ने उस अवधि के दौरान 12 राज्य सा.क्षे.उ. में से छह में ₹ 2,572.53 करोड़ (इक्विटी: ₹ 4.80 करोड़, ऋण: ₹ शून्य करोड़, अनुदान और सब्सिडी: ₹ 2,567.73 करोड़) प्रदान किए गए थे, जिसके लिए उनके लेखे बकाया थे।

- डीएसआईआईडीसी की चार सहायक कंपनियां स्थापना के बाद से निष्क्रिय हैं। जबकि निदेशक मंडल ने दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है, शेष तीन सहायक कंपनियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

5.8 अनुशंसाएँ

राज्य सरकार:

- रा.सा.क्षे.उ. के अभिलेखों के अनुसार और वित्त लेखे के अनुसार बकाया ऋणों के आंकड़ों में अंतर का समयबद्ध तरीके से मिलान करें;
- बनाई गई लाभांश नीति के अनुसार लाभांश का भुगतान सुनिश्चित करें;
- डीटीसी को व्यवहार्य बनाने के लिए योजना तैयार करें;
- रा.सा.क्षे.उ. की वित्तीय विवरणियों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें;
- डीएसआईआईडीसी की तीन निष्क्रिय सहायक कंपनियों को बंद करने/प्रचालन पर निर्णय लें;

नई दिल्ली
दिनांक: 08 मई 2023

(अमन दीप चड्ढा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 16 मई 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक